अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी- 61 /2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,

1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 29 ,2013

विषय- क्रिमिनल पी0आई0एल0 संख्याः9187/2013 के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 16.9.2013 में दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने के विषय में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त क्रिमिनल पी0आई0एल0 संख्याः9187/2013 के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 10.05.2013 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने व अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पत्र संख्याःडीजी-सात-एस-3(43)2013 दि0 22.05.2013 द्वारा पूर्व में आपको आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। मा0 न्यायालय के संज्ञान में आया है कि गम्भीर रूप से घायल दो महिलायें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करायी गयी थी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त दोनों महिलाओं का अंकित किया गया था, परन्तु उक्त बयान के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी और इस हेतु अन्य श्रोतों की प्रतीक्षा कई दिनों तक की गयी। जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट अनावश्क रूप से काफी विलम्ब से अंकित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा स्थानीय पुलिस द्वारा समय से मुकदमा पंजीकृत न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपर्युक्त पी0आई0एल0 की सुनवाई के पश्चात दिनांक 16.09.2013 को निर्णय पारित किया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत हैः-

This writ petition (PIL) is disposed of with the direction to all concerned to follow the DGP Circular dated 22.05.2013 which contains valuable directions to ensure that investigation is carried out properly by recording the statement of Doctor and Magistrate who are present at the time of recording of the statement of the victim. The concerned officials shall also follow the directions of this Court given above and in compliance of this direction the Director General of Police, U.P. shall issue a circular in addition to the earlier circular forthwith and in any case within a week. The officials of the nearest police station shall not cause any delay in lodging of the FIR and on that basis they shall inform the police officials of the concerned police station where the crime took place, after recording the FIR in the manner indicated above within 24 hours time limit. The FIR may be sent there after to the police station having jurisdiction of the crime. The circular of the Director General of Police must contain stipulation of disciplinary action. Further if such directions are violated by any particular delinquent police official then such an action will amount to contempt of this Court.

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के किसी आदेश/निर्णय के अनुपालन में यदि कोई भी लापरवाही होना पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(देवराज नागर) 29.10.13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संलग्नकःयथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।